

कृषि निदेशालय, बिहार पटना
आदेश

का0आ0संख्या-02/स्थांराज0(सा0)-01/08(अंश)-322/ कृ0, पटना, दिनांक-30/06/ 2017

कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) में लेखा संबंधी कार्य, अंकेक्षण, किराया वसूली, इत्यादि कार्यों के निष्पादन हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार कंडिका-4 के अनुसार की जाती है।

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदस्थापन स्थान	कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) का नाम
1	2	3	4
1.	श्री योगेश कुमार, प्रक्षेत्र सहायक	अनुमंडल कृषि कार्यालय, किशनगंज	किशनगंज, बहादूरगंज एवं ठाकुरगंज के अतिरिक्त कृषि उत्पादन बाजार समिति, गुलाबवाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है वे बाजार समिति, गुलाबवाग के वरीय प्रभार में होंगे।
2.	श्री मधुसुदन सिंह, प्रक्षेत्र सहायक	अनुमंडल कृषि कार्यालय, वांका	कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), भागलपुर, कहलगाँव सहायक निदेशक, कृषि विपणन, भागलपुर, क्षेत्रीय निदेशक, कृषि विपणन, भागलपुर एवं कार्य प्रमण्डल, कृषि विपणन, भागलपुर।
3.	श्री अशोक कुमार नायक, लिपिक	अनुमंडल कृषि कार्यालय, नवगछिया	कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), नवगछिया
4.	श्री राजनाथ राय, प्रक्षेत्र सहायक	अनुमंडल कृषि कार्यालय, छपरा (सारण)	कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), छपरा, गोपालगंज, सहायक निदेशक कार्यालय छपरा, कार्य प्रमण्डल, कृषि विपणन, छपरा।
5.	श्री राजकुमार सिंह, प्रक्षेत्र सहायक	अनुमंडल कृषि कार्यालय, मढ़ौरा (सारण)	कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), खगड़िया एवं मुगैर।

2. सम्बन्धित कर्मियों का वेतन भुगतान उनके मूल पदस्थापन कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यालय से प्राप्त अनुपरिस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।

ह0/-
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक

ज्ञापांक-02/स्थांराज0(सा0)-01/08(अंश)-...../पटना, दिनांक-...../2017
प्रतिलिपि :- प्रशासक, विहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि०), पटना / सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (शष्य)/सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर सम्बन्धित कर्मों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान देने हेतु विरमित कर देंगे।

ह0/-
कृषि निदेशक

ज्ञापांक-02/स्थांराज0(सा0)-01/08(अंश)-1118/ पटना, दिनांक-30/06/2017
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर विरमित नहीं होने की स्थिति में अगले दिन आप स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

कृषि निदेशक

ज्ञापांक-02/स्थांराज0(सा0)-01/08(अंश)-1118/पटना, दिनांक-30/06/2017

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/06/17
कृषि निदेशक
(सुशील कुमार)
अवर सचिव।